बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–1/पी0सी0आर0(विविध) 09–10/12– 949

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 25/04/2012

विषय– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, नियम–1995 के आलोक में नियत–10 के अन्तर्गत विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में।

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–40 दिनांक–02.01.2007 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–10 के अन्तर्गत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के एक पदाधिकारी को विशेष पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विशेष पदाधिकारियों द्वारा किसी तरह के कार्य किये जा रहे है, इस संबंध में कोई सूचना/प्रतिवेदन इस कार्यालय को अप्राप्त है।

उक्त अधिनियम/नियम अन्तर्गत विशेष पदाधिकारी निम्नलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी है :–

(I) अत्याचार से पीडित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को तत्काल (Immediate) राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करना तथा उन्हें अत्याचार से बचने के लिए आवश्यक उपाय करना,

(II) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिनियम या नियम तथा तैयार की गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना,

(III) गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केन्द्रों के रख–रखाव या कार्यशाला का आयोजन करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाओं, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता में दिनांक–10.04.2012 को सम्पन्न राज्यस्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में भी इस संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में ये बातें सामने आयी कि जिलास्तर पर विशेष पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत पदाधिकारी प्रायः अपने उत्तरदायित्वों का प्रभावकारी रूप से निर्वहन नहीं कर रहे है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिलास्तर पर विशेष पदाधिकारी को कार्यशील बनाया जाय तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों की सूचना प्राप्त की जाय।

अनुरोध है कि नियम–10 के अन्तर्गत आपके जिला में विशेष पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं0 की सूचना इस विभाग को फैक्स सख्या–0612–2217251/2215265 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में उन्हें सौपी गई जिम्मेवारियों का विशेष पदाधिकारी द्वारा निर्वहन किया जा रहा है इसकी प्रत्येक माह समीक्षा करना भी सुनिश्चित करें।

अनु0–सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–40
दिनांक–02.01.2007

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव। 25/4/12

Rameshwarbabu Sec.Cell

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना,15 दिनांक–2.1.07

संख्या–14ए0–238/2006का0–40––– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम–10 के अन्तर्गत विशेष कार्य पदाधिकारी का कार्य करने के लिए संबंधित जिलों में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता को अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(मोहन कुमार सरकार)
सरकार के उपसचिव।

ज्ञापांक– 40 पटना,15 दिनांक–2.1.07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार बिहार, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय बिहार, पटना/उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी कोषागार/राज्य जन सूचना पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।